न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 136/2019 (2019/00167)

1. महेश भारद्वाज पुत्र स्व. नरेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक हाल मुकाम बोहरा कॉलोनी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—— वादी

♠ बनाम ♠

1. ज्ञानचन्द जोशी पुत्र विष्णुदत्त जोशी।
2. आकाश जोशी पुत्र ज्ञानचन्द जोशी।

समस्त जातिगण ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 14.6.2022

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188.209राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके बघेरा तहसील केकडी में स्थित है। आराजी निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
663—654	4640	1.42	बारानी 3
	कुल किता 1	कुल रकबा 1.42हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात में वादी के कब्जे के काश्त में, खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा वर्णित आराजीयात वादी के कब्जे के काश्त में, खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा वर्णित आराजीयात का वादी की एक मात्र खातेदारी कृषक है, तथा वाद वर्णित आराजीयात वादी के पूर्ण कब्जे, काश्त में खातेदारी में उपयोग व उपभोग में निरन्तर रूप से बिना किसी रोक टोक बाधा के चली आ रही है तथा वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 वादी की आराजीयात को हडपने के लिए वादी को उसकी आराजीयात से जबरन बेदखल करने के आश्य के लिए वादी को उसकी आराजीयात से जबरन घुसकर काश्त की हुई फसल को नष्ट भ्रष्ट करते रहते है तथा काश्त की हुई फसल में जानवरो मवेशियो को छोडकर वादी की फसल को नुकसान पहुँचाकर वादी को काफी आर्थिक नुकसान कारित करते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अपने हाथो में लाठिया लेकर मौके पर पहुच कर वादी को गाली गलोच करते हुए वादी को फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है वादी को व उसके परिवार वालो को आये दिन मारपीट करने करते है वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 जबरन बलपूर्वक बेदखल करना चाहते है वादी की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। वादी को अपनी आराजीयात के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने व वादी को जबरन बेदखल न करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की वाद वर्णित आराजीयात में वादी को कब्जे, काश्त मे बाधा नही पहुँचाये न ही किसी प्रकार का अवरोध आदि न पहुचाये और न ही वादी की आराजीयात को किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट आदि करे, न ही वादी की काश्त की हुई फसल को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुचाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का वाद पत्र में प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली जर्ये रजिस्टर्ड एडी से की जाने के बावजूद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर एक्सपार्टी की जाकर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

जवाब बंद किया गया। शहादत वादी में वादी ने वादी ने शपथ पत्र पेश किया तथा गवाहान राजवीर सिंह पी.डब्ल्यू 2 ने शपथ पत्र पेश कर ए टू बी हस्ताक्षर करवाये गये। जिरह शून्य रहा। प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2073 वाके ग्राम बघेरा, पेश किये। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व गवाहान का शपथ पत्र का अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा डिग्री वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। तथा वाद वर्णित आराजी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी के खाता संख्या 663–654 के खसरा संख्या 4640, रकबा 1.42हैक्टर पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 व उनके रिश्तेदार, एजेन्ट को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग, में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी अपनी आराजीयात से बेदखल हो तथा न ही आराजीयात को नष्ट–भ्रष्ट करे। इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास ...)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner